International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

हिन्दू-साम्प्रदायिकता का उदय एवं विकास

रणबीर सिंह, इतिहास विभाग

पीएचo डीo स्कॉलर, जे. जे. टी. यूनिवर्सिटी,

चुड़ैला, झुंझुनू, (राजस्थान)

प्राचीन समय से ही हिन्दुओ मे प्रथम दो वर्ण धन सम्पति पर एकाधिकार करके अपने आप को प्रमुख अभिजात वर्ग की श्रेणी मे कायम करने मे सफल रहे थे । इसी तरफ मध्यकाल मे भी इसी श्रेणी मे बने रहने के लिए राजनीती मे विश्वासघात करना भी कोई अपवाद नहीं था । क्योकि मध्यकालीन तथ्य भी स्पष्ट करते है कि भारत की धरती पर विदेशी सेनाओ की विजय का मुख्य कारण शासक वर्ग की साठ- गांठ और सहयोग था । यदि चौदहवी शताब्दी मे देवगिरि के रामचंद्र यादव ने दक्षिण मे खलजी सेनाओ के पथप्रदर्शन का काम किया था, तो 16वीं शताब्दी मे मेवाड़ के राणा सांग ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था । परन्तु इन सबके पीछे यह भी सत्य है कि ये स्वार्थी तत्व अपने आपको प्रमुख अभिजात वर्ग की श्रेणी मे ही कायम रखना चाहते थे ।

इसी प्रकार से 18वीं शताब्दी मे पेशवाओ के भी अखिल भारतीय स्तर पर मुल्कगीरी की योजना की तह मे कोई आदर्श या विचारधारा नहीं थी उनका उद्देश्य अपने आर्थिक हितो की पूर्ति करना था ।

अंग्रेजी शासन के दौरान भी हिन्दू - मुस्लिम अभिजात वर्ग अपना प्रधान्य खोना नहीं चाहते थे i परिणामस्वरूप दोनों समुदायों के अभिजात वर्गों के बीच वैमनस्य का वातावरण खड़ा हो गया । और दोनों अभिजात वर्गों का बने रहने के लिए साम्प्रदायिकता बढ़ती चली गई ! उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक तथा बौद्धिक जागरण ने हिन्दुओ को पहली बार राष्ट्रीय एकता का महत्व समझाया । अपने हित तथा देश के व्यापक हित मे हिन्दू नेताओ ने अपनी सारी शक्तियां राष्ट्रीय सवैधानिकता और प्रजातंत्र को साकार करने में लगा दी । किन्तु इस राष्ट्रीय भावना के प्रवाह के बीच 30 दिसंबर 1906 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना और

उसके उद्देश्यों तथा इसके साथ अंग्रेजी रोमन एम्पायर की 'फूट डालो और राज करो' की नीति का सहारा लेते हुए 1909 का मोर्ले-मिंटो अधिनियम पारित किया ।

जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के संविधानिक उद्देश्य हिन्दू - साम्प्रदायिकता के उदय और विकास को प्रोत्साहन दे रहे थे उसी प्रकार 1909 को मोर्ले-मिंटो अधिनियम ने भी साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ! अधिनियम में मुसलमानो को अधिनियम के साथ -साथ पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था|1

मुस्लिम समुदाय को अखिल भारतीय स्तर पर भी मान्यता दी गई थी इसलिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों मे अल्पसंख्यकों पर राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया । क्योकि उनके पास न तो बहुसंख्यको को शक्ति और सुरक्षा थी और न ही वह रक्षा और सुविधाएं जो अल्प्संख्यको को दी गई थी । लीग के नेताओ की अलगाववादी नीति की प्रतिक्रिया में तेजबहादुर सप्रू ने भी लिखा कि " अखिल भारतीय लीग की लखनऊ में 24 मई 1909 को हुई पिछली बैठक ने एक बार फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में हिन्दू मुस्लिम समझौता वार्ता का खोखलापन स्पष्ट कर दिया है ..... क्या हिन्दू अब अपने और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने अतीत के प्रति और अपने भविष्य के प्रति सचेत होंगे ? यह एक प्रश्न है जिसकी और हर सोचने और बोलने का साहस रखने वाले हर हिन्दू का ध्यान आकर्षित होना चाहिए । हम कब तक वियोग की सम्भावना पर चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ेंगे ? और हम कब तक इस विरोध को कैसे रोकेंगे ? मेरे अनुसार हिन्दुओ को इस विलगाव को लेकर विचलित नहीं होना चाहिए । इस नए सिद्धांत का सबसे अधिक प्रभाव यु**o** पी**o** वालो पर पड़ेगा । क्या हिन्दू अभिजात वर्ग के या जनता के स्वभाविक नेता आगे आकर यह स्पस्ट शब्दों में घोषित करंगे कि वे और उसके सहधर्मी इस विषय पर की सोचते और महसूस करते है ? क्या वे अभिजात मुसलमानो की पुस्तक से एक पन्ना लेंगे? या नहीं ? या ये नेता केवल निष्ठा प्रदर्शन और शिष्टमंडलों का आयोजन करने के लिए ही है ।

इसी प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित बंगाली साप्ताहिक के संपादन से भी स्पस्ट होता है की हिन्दू संपरदायिकता किस प्रकार अपने आधार की तरफ बढ़ रही है । यदि ऐसा

1. दीक्षित प्रभा, "साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिकसन्दर्भ" , **(** नई दिल्ली , द मैकमिलनकंपनीऑफ़इंडिया, **1980),**
पृष्ठ संख्या **130-31**

संगठन स्थापित किया गया और हमे आशा है की ऐसा किया जायेगा तो उसका दृष्टिकोण आकर्मक एवं उग्रवादी नहीं होगा । हमारा नारा रक्षा होगा विद्रोह नहीं । 2. उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट करते है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता आरम्भ से ही राजभक्त रही थी । क्योकि इसके संस्थापक आरम्भ से ही सरकार के सहयोग की बात करते थे ताकि हिन्दुओ के लिए रियायते प्राप्त की जा सके । किन्तु हिन्दुओ में माध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का आकर कही बड़ा था । इसके अतिरिक्त हिन्दू साम्प्रदायिकता को ब्रिटिश सरकार से समर्थन और रियायते भी नहीं मिलती थी क्योकि सरकार मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर ही अधिक निर्भर करती थी ।

दोनों ही साम्प्रदायिकता को एक साथ बढ़ावा देना , सरकार के लिए न कोई आसान कार्य था न ही फ़िलहाल समय की आवश्यकता थी । इस प्रकार से अभी तक धीरे धीरे ही हिन्दू साम्प्रदायिकता अपने आप में प्रतिक्रिया स्वरूप उदय हो रही थी।3 परन्तु अब एक संपरदायिक हिन्दू आंदोलन का सूत्रपात करने का दायित्व पंजाब के हिन्दुओ पर आ पड़ा । यह पर यह भी स्पस्ट है की अपने जन्म से 1923 तक हिन्दू संपरदायिकता आंदोलन मुख्यतः: पंजाब तक ही सीमित रहा। क्योकि अब मुस्लिम लीग की विचारधारा और तरीको की क्षमता और सफलता से प्रभावित होकर हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतों ने भी पंजाब के बहुसंख्यक मुसलमानो से अपने हितो की रक्षा के लिए उन्ही के अनुकरण में हिन्दू साम्प्रदायिक आंदोलन का श्रीगणेश किया । यु० पी० के अल्प्संख्यक मुसलमानो की तरह ही पंजाब के हिन्दू संख्या में कम होने पश्चात् भी प्रान्त के आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों मे सर्वोपरि बनाया थे ।

जिन्होंने यहाँ की असहाय जनता का शोषण करके अपने को सम्पन बनाया था और इसी वर्ग ने पंजाब में प्रशासन के मुख्य पदों पर भी अपना आधिपतये बनाये रखा था । वाणिज्य के क्षेत्र मे इनका प्रधान्य था । शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग बहुसंख्यक मुसलमानो से बहुत आगे थे । क्योकि यह पर (पंजाब में) हिन्दुओ की जनसँख्या **24** प्रतिशत थी परन्तु **1900** में हिन्दुओ की स्कूल जाने वाली आयु के लगभग **16.**37 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे थे । जबकि उसी श्रेणी के बहुसंख्यक मुसलमान बच्चो की संख्या , जोकि पंजाब में कुल जनसँख्या के **51** प्रतिशत थे परन्तु स्कूल जाने वाले बच्चो की संख्या **11 .67** प्रतिशत थी ।

2. वही. पृष्ठ संख्या-128
3. चंद्र बिपिन , आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता; (नई दिल्ली, हिंदी माध्यम कार्यान्यवय निदेशालय ,**1990**) पृष्ठ संख्या-85

इसी तरह से सिख जनसँख्या जोकि 22 प्रतिशत थी उससे भी हिन्दू छात्र अधिक संख्या में स्कूल जाने वाले ही थे। इसी तरह उच्च शिक्षा में भी मुसलमानो की तुलना में हिन्दुओ की संख्या तीन गुना अधिक थी।

इन सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हिन्दू लोग पंजाब में अभिजात वर्ग बन गए थे। परन्तु उनकी सुखद स्थिति को मुसलमानो की अधिमान के साथ पृथक निर्वाचन की मांग ने एक झटके मे धूल धूसरित कर दिया था। अब अपने आपको अभिजात वर्ग बनाये रखने के लिए , जोकि प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में भी बनाने में सक्षम रहे अब अपने विशेष हितो की सुरक्षा के लिए सम्प्रदायवाद की आड़ लेना वे आवश्यक व समय की मांग समझने लगे| 4. इस प्रकार हिन्दू साम्प्रदायिकता का विकास करते हुए 1909 में हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतों ने हिन्दू साम्प्रदायिक राजनीती में उपनिवेश समर्थक और कोंग्रेस विरोधी का प्रवेश होना आरम्भ हो गया। पंजाब में हिन्दू महासभा के संस्थापक रायबहादुर लालचंद ने लेखो की एक श्रृंखला में कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। ये लेख 'सेल्फ अबनेगेशन इन पॉलिटिक्स' नाम से एक पुस्तक के रूप में छापे गए है| इन्होने कांग्रेस को हिन्दुओ की खुद मोल ली हुई मुसीबत और 'शुद्ध हिन्दू हितो की वास्तविक कमजोरी का स्त्रोत' कहा। आगे लालचंद का कहना था , जिससे हिन्दू साम्प्रदायिकता बढ़ती चली गयी कि " पिछले पच्चीस वर्षो से जो जहर फैल रहा है वह हिन्दुओ का सर्वनाश कर देगा। हिन्दुओ की सुरक्षा तभी हो सकती है जब वे इस विष से विरेचन द्वारा छुटकारा पाने के लिए तैयार हो। यदि सरकार मुसलमानो की पक्षधर है जोकि वह है , तो कांग्रेस का ही दोष है जिसने एकता की वेदी पर हिन्दू हितो की बलि दे दी है। 5.

इसके बाद परिणाम सवरूप 1907 में पंजाब में हिंदू सभा का जन्म हुआ भारतीय राजनीति के इस नए मूड पर टिपणी करते हुए समकालीन प्रमुख अखबार इंडियन स्पेक्रेटर में लिखा है की मुस्लिम लीग ने एक हिन्दू लीग को जन्म दिया है। इसने पंजाब में आँख खोली है जहा हिन्दू अल्पसंख्यक है और ऐसा प्रतीत होता है की उन्होंने अन्य प्रांतो में भी समर्थक जुटा लिए है। इसी तरह से ट्रिब्यून के संपादक ने भी हिन्दू सभा की स्थापना के विषय में वर्णन करते हुए लिखा है कि - विशेषकर लाहौर सभा के दो प्रस्ताव के विषय में लिखा है कि -एक में मुसलमानो को अनुपात से अधिक स्थान देने के लिए सरकार की तीव्र भर्तस्ना की गयी।

4. दीक्षित प्रभा, साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक सन्दर्भ , (नई दिल्ली , द मैकमिलन कंपनी ऑफ़ इंडिया , **1980),** पृष्ठ संख्या **130-31**

दूसरे में मांग की गयी कि यदि कॉंसिलो की सुधार योजना में समुदाय के साथ पक्षपात का व्यवहार अंतिम रूप से निश्चित हो गया है तो यह सभा आग्रह करती है की अपनी शंकाए और प्रभाव के कारण इस प्रान्त के हिन्दुओ को मुसलमानो के समक्ष रखा गया जाये | 6. समय की गति में ही जब कटटर हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतों को कांग्रेस और लीग में होने वाले समझौते की उड़ती हुए खबरे सुनकर वे फिर सक्रिय हो गए । इस बार वे इस बात को लेकर कटिबंध थे की कांग्रेस अल्संख्यको को मनाने के लिए बहुसंख्यको के अधिकार और सुविधाओं का बलिदान न कर बैठे । किन्तु कांग्रेस के समझौता करने के अधिकार को प्रान्त के एक छोटे संगठन द्वारा चुनौती देना संभव नहीं था ।इसके लिए दूसरे प्रांतो के हिन्दुओ का सहयोग अनिवार्य था । अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए तथा संगठन को और मजबूत बनाने के लिए दिसम्बर ,1913 में पंजाब प्रांतीय हिन्दू सम्मेलन ने अम्बाला अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये ।

अंततः यह आवश्यक है कि भारत के हिन्दुओ का एक समान्य सम्मेलन कुम्भ के अवसर पर 1915 में हरिद्वार में किया जाये । इस प्रकार पंजाब द्वारा अपनाये इस मार्ग का बंगाल, बिहार , और सयुक्त प्रांत के हिन्दुओ ने जोरदार समर्थन किया । अतः इसी प्रकार हिन्दू साम्प्रदायिकता धीरे धीरे सुद्रढ रूप से संगठित होतो चली गयी । 7. अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए हिन्दू महासभा का पहला अधिवेशन 9 और 10 अप्रेल को 1915 को कासिम बाजार के महाराजा महेंद्र नंदी की अध्यक्षता में हुआ । परन्तु यह सभी तत्कालीन राजनैतिक विषयो को बहुत सावधानी पूर्वक अपनी चर्चा से बाहर रखा गया क्योकि इस अधिवेशन पर जिन लक्ष्यों पर बल दिया गया वे निम्नलिखित थे ।

1. हिन्दू एकता और सामाजिक सुधार
2. जातिव्यवस्था का बहिष्कार
3. निम्न वर्गों का उद्धार करना
4. विधवा विवाह

इत्यादि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक योजनाए बनाई गई । इस प्रकार से स्पष्ट है की 1923 के सम्मेलन तक भी महासभा की हिन्दू राजनीतिक स्थिति को बिलकुल नहीं बदला गया|

6. दीक्षित प्रभा, वही पृष्ठ संख्या **32**

7. प्रकाश इन्दर, ए रिव्यु ऑफ़ दी हिस्ट्री ऐड वर्क ऑफ़ हिन्दू महासभा (नई दिल्ली1952)

यह मात्र पंजाब का ही एक प्रांतीय संगठन बना रहा, पंजाब के बाहर इसकी कोई नयी शाखा स्थापित नहीं हो सकी।

यघपि लाला लाजपतराय और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे प्रमुख महासभा के नेता गाँधी की शर्तो से तनिक भी सहमत न थे जिसके आधार पर उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता स्थापित की थी। फिर भी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को इन नेताओ ने पूरा समर्थन दिया। परन्तु बाद के साम्प्रदायिक दंगो विशेषकर मालावर कोहात एवं मुल्तान में मुस्लिम क्रूरता ने उसका मोह भांग कर दिया। इसी प्रकार से 1919 के अधिनियम द्वारा लाये गए परिवर्तनों ने विशेषकर प्रांतीय परिवर्तनों ने साम्प्रदायिक राजनीति को एक गंभीर विषय बना लिया। इसी प्रकार से लखनऊ समझौते के अनुसार सत्ता का जो अतिरिक्त हिस्सा मुसलमानो को मिला था उस से यु० पी० के उच्च तथा शिक्षित वर्ग के हिन्दुओ के हितो को काफी क्षति पहुंची। इसी प्रकार में पंजाब तथा बंगाल के हिन्दुओ के नौकरी के हिस्से में जबरदस्त संसोधन किया गया। इन दोनों प्रांतो में 60 प्रतिशत नोकरिया मुसलमानो के लिए आरक्षित कर दी गयी। परिणाम स्वरूप हिन्दुओ के दिन प्रतिदिन बढ़ते शिक्षित मध्यम वर्ग के लिए ये व्यवस्था कभी संतोष जनक नहीं हो सकती थी। इन सबके कारण हिन्दू संपरदायिकता बढ़ती चली गयी तथा संपरदायिक रक्तपात ने तो ऐसी स्थिति बना दी थी कि निष्क्रिय हिन्दू महासभा को पुनः जीवित करने में पर्याप्त सहायता हुई। इसी के चलते पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बनारस में हुआ जिसमे हिन्दू समपरदायिकता आंदोलन को एक नयी दिशा देने के लिए इनके लक्ष्यों को फिर से परिभाषित किया गया।8. हिन्दू महासभा के पुनः जीवन के साथ साथ विख्यात क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने हिन्दुओ के सामने एक और भविष्य का कार्यक्रम पेश किया। जोकि पंजाब के दैनिक पत्रों में 1925 में प्रकाशित हुआ इस प्रकार हरदयाल के विचारो में भी संपरदायिकता स्पष्ट झलकती है उन्होंने कहा मैं यह घोषित करता हूँ कि हिंदुस्तान की हिन्दू जाती और पंजाब का भविष्य चार स्तम्भों पर आधारित है : हिन्दू संगठन हिन्दू राज मुसलमानो की शुद्धि ,आफ्गानिस्तान तथा सीमांत प्रांतो को शुद्धि। जब तक हिन्दू राष्ट्र यह चार बाते पूरी नहीं कर सकता तब तक हमारे बच्चो और पोतो की सुरक्षा खतरे में रहेगी और हिन्दू जाती की सुरक्षा असंभव हो जाएगी ..... मुसलमान और ईसाई हिन्दू धर्म के दायरे से बहुत दूर है क्योकि उनके धर्म विदेशी है तथा वे फ़ारसी , अरबी तथा यूरोपियन परम्पराओ से प्रेम करते है। अतः जैसे कोई आँख की किरकिरी निकालता है वैसे ही इन धर्मो की शुद्धि कर देनी चाहिए।

8. दीक्षित प्रभा, वही पृष्ठ संख्या **32**

अफगानिस्तान और सीमा में पहाड़ी इलाके एक समय हिन्दुस्तान के हिस्से थे आज इस्लाम के अधिपत्य में है , पहाड़ी कबीले में हमेशा लड़ाकू और भूखे रहते है यदि वे हमारे शत्रु बन गए तो नादिरशाह और जमनशाह का युग आरम्भ हो जायेगा । यदि हिन्दू अपने हितो की रक्षा करना चाहते है तो उन्हें उन्हें अफगानिस्तान और सीमाओं को जितना तथा पहाड़ी कबीलो को हिन्दू धर्म में परिवर्तित कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हिन्दू संपरदायिकता और संपरदायिक संगठनों के स्वरूप में परिवर्तन आकर और भी प्रतिक्रियात्मक बनते चले गए । 9.

अब हिन्दू संगठन की तेज़ गति करने और उसकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महासभा ने शुद्धि का विस्तृत कार्यकर्म भी तैयार किया क्योकि खिलाफत आंदोलनों और उसके बाद की घटनाओ तथा ए सी राजहः और बी आर आम्बेडकर के आंदोलनों ने उच्च जातियों के आत्मविश्वास को डिगा दिया था । अब उनको एकाएक इसके लाभकारी पक्ष भी दिखाई दे रहे थे । इसके साथ ही गुरु शंकराचार्य ने हिन्दुओ को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रयाग में हिन्दू श्रोताओ को कहा था कि- इस कठिन समय में यदि हिन्दू लोग धर्म परिवर्तन के इस पुण्य काम को गंभीरता से नहीं लेते और अपने भाइयो की गलतफहमी के कारण दूसरे धर्मों में जाने से नहीं रोकते तो दस दशकों के अन्दर आपको इस धरती की सतह पर कोई हिन्दू नहीं मिलेगा । तथा इसके साथ ही हिन्दुओ से कहा गया कि हिन्दू समुदाय को तलाशने की यही प्रक्रिया चलती रही तो निकट भविषय में जहा भी हिंदी बहुसंख्यक है घटकर अल्पसंख्यक बन जायँगे |**10.**

किन्तु हिन्दू महासभा का साम्प्रदायिक प्रचार अभी (1923) तक न तो हिन्दुओ को बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल हुआ और न ही भारतीय राजनीती पर उसका कोई तात्कालिक प्रभाव पड़ा । अभी तक ब्रिटिश सरकार ने भी इसके ऊपर तनिक सा भी ध्यान नहीं दिया था । क्योकि इससे इससे न तो गाँधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था और न गाँधी जी ने इसे अपने साथ जोड़ा था । ब्रिटिश सरकार की तरह मुस्लिम लीग ने भी हिन्दू महासभा के स्वतंत्र अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया ।अभी तक महा सभा पंजाब सयुक्त प्रान्त और मुम्बई के कुछ भागो को छोड़ कर महासभा की शाखाय कही नहीं थी अतः इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू महासभा को अपने अखिल भारतीय संगठन कहने का कोई अधिकार न था ।

9. अंबेडकर, बी आर. 'थाटसन आन पाकिस्तान' , बम्बई **(1941)** पृष्ठ संख्या-81

10. दीक्षित प्रभा, वही पृष्ठ संख्या **130-131**

यह तथ्य महासभा के सचिव पघराज जैन द्वारा बी डी सावरकर को लिखे पत्र से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है जो की इस प्रकार से है देश स्वभाविक रूप से हिन्दू महासभा के अनुकूल संगठित हो रहा है |

किन्तु हमारे मार्ग की सबसे बड़ी कठिनाई यह है की हम अभी तक विभिन प्रांतो और जिलों में हिन्दू महा सभा के पुरे काम को समेकित नहीं कर सके है । शुद्धि जिसने मुसलमानो को आशंकित कर दिया था अनेक साम्प्रदायिक्दंगो का तत्कालीन कारण बनी थी| इसके साथ हरिजन उद्धार का मार्ग अम्बेडकर ने दर्शा दिया था । किन्तु हरिजनों के लिए स्थान आरक्षण ने महासभा के लिए एक और समस्या खडी कर दी थी । हरिजनों की राजनैतिक सफलता ने देश के विभिन भागो विशेषकर मुम्बई और मद्रास में स्वर्णो और अवर्ण हिन्दुओ के बीच राजनैतिक और समपरदायिक तनाव पैदा कर दिया था |

इसी तरह से **1937** चुनाव में करारी पराजय से उसके अनुयाईओ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था । ` अतः वे पूरी तरह से जानते थे की कांग्रेस के सामने बुरी तरह से पराजित हो जायँगे । कांग्रेस के महासचिव गणपतराय जोकि दिल्ली और पंजाब की नब्ज़ पहचानते थे , के विचारो से स्पष्ट हो जाता है कि मई को गणपतराये ने डॉ मुंजे को लिखा 'हमारे सामने प्रश्न यह है कि कि महासभा को कांग्रेस को चुनौती देनी चाहिए मेरे विचारो में उसे नहीं देनी चाहिए ।' , सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेस के साथ बराबरी करना न व्यवहारिक है और न ही संभव है|**11.** 1937 के चुनाव में हिन्दू महासभा की करारी हार के पश्चात् उसके सविंधान में परिवर्तन एवं संसोधन अनिवार्य हो गया गया । इन्ही महत्वपूर्ण वर्षो में हिन्दू महासभा एवं हिन्दू साम्प्रदायिकता का दायित्व विनायक सावरकर के कंधो पर आ गया । इसका मुख्य ध्येय अब हिन्दू धर्म की तथा संस्कृति की रक्षा के साथ ही वैध संसाधनों के द्वारा हिन्दुस्तान की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता भी था । इन्होने कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित प्रादेशिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को अस्वीकार करके धर्म और संस्कृति पर आधारित हिन्दू राष्ट्रवाद को उसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया |

1937 के पश्चात् आये स्त्रोतों से भी पता चला है की जब बी डी सावरकर के कंधो पर हिन्दू महासभा का कार्यभार आ गया तो उसने महासभा के प्रसार वास्ते सामाजिक एवं जाति प्रथा का बहिष्कार किया ।

11. वही पृष्ठ संख्या **132**

यहां पर स्पष्ट भी होता है कि सावरकर एक प्रसव बुद्धिजीवी थे जाति प्रथा, हिन्दू देवी - देवताओ , पूज्य जानवरो और पेड़ पोधो के बारे में उनके विचार कुछ आश्चर्यजनक थे - उनका कहना था की सृष्टि में गाये

और गधा एक समान है | 12. एक अन्य लेख में तो सावरकर कहते है हमने ऐसे ऐसे प्रखर गो भक्त देखे है जो पुराणों के आधार पर गाय को भगवान मानते है । उनका मूत्र पीते है और अपने मंदिर को पवित्र करने के लिए गो मूत्र छिड़कते है | परन्तु डा० अम्बेडकर जैसे विद्वान और शुद्ध व्यक्ति का छुआ हुआ हुआ गंगाजल भी उनके लिए अपवित्र होता है उनके स्पर्श होते ही अपवित्र हो जाते है यदि पुराणों के अनुसार गाय भगवान है तो सूअर भी भगवान है | **13.**इस प्रकार से सावरकर के द्वारा भी महासभा के सामाजिक आधार की तरफ अग्रसर होना स्पष्ट नज़र आ रहा है ।

आगे वी डी सावरकर ने इसी समय कहा कि जब बंगाल प्रांत के मुख्य मंत्री फज़लुल हक़ ने हिन्दुओ को धमकी दी कि यदि हिन्दू बहुल प्रांतो में मुसलमानो को तंग किया गया तो वे बंगाल के हिन्दुओ को सतायेंगे - मैं हिन्दुओ को सताऊंगा - कहा बंगाल के हिन्दू छुईमुई नहीं है । उन्होंने लार्ड कर्ज़न जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के राज्यपालो को भी कई अवसरो पर नीचे उतरने के लिए बाध्ये किया है किन्तु यदि वह बंगाल के हिन्दुओ को सताता है | तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर हिन्दू भी उनके सहधर्मियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करंगे, पैमाने पर पैमाना लबालब अच्छी तरह भरा हुआ है । **14.**

आगे और भी साम्प्रदायिक बनते हुए उन्होंने चेतावनी जोड़ी - यदि तुम्हारा ध्येय हिन्दुओ को अपने ही देश में दास की स्थिति में ले जाना है । तो आपके लिए भला होगा कि आप याद रखे , एक के बाद एक आने वाले औरंगजेब की शाही सत्ता होते हुए भी ऐसा कमाल दिखने में असफल रहे है । और अपनी योजना को सफल बनाने की चेष्टा में वे अपनी ही कब्र खोदने में सफल रहे है निश्चित ही जिन्ना और हक़ वह नहीं कर सकते जिनको करने में औरंगजेब असफल रहा । अतः इसी तरह प्रतिकिर्या और बदले की भावना ने सम्बन्धी विचारधारा ने साम्प्रदायिकता को और भी बढ़ावा दिया और महासभा अपनी लोकप्रियता को प्राप्त करती जा रही थी । 15.

12. ज्ञान रंजन, पहल - 74 (जवलपुर, महाकोशलऑफसन्त, मई - जून 2003) पृष्ठ संख्या-16

13. वही, पृष्ठ संख्या—17

14. दीक्षित प्रभा, वही पृष्ठ संख्या **131**

15. वही पृष्ठ संख्या **160**

हिन्दू महासभा ने तो जनसमुदाय में अपने स्थान बनाने तथा शिक्षित हिन्दुओ को अपनी और आकर्षित करने के लिए आर्थिक कार्यक्रम भी पेश किया यद्यपि इसका लक्ष्य आम जनता को संपन्न

बनाना था किन्तु यथार्त में उसकी चिंता का विषय उच्च वर्ग थे । क्योकि इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि - यदि उद्दोग , कृषि आदि में घाटा है तो उसका बोझ केवल उद्योगपति तथा जमींदार ही नहीं राष्ट्र का अंग होने के नाते मजदूर और किसान को भी वहन करना होगा इसके साथ ही मजदूर और किसान का ध्यान इस बात की और भी करवाया कि सम्पूर्ण राष्ट्र का अंग होने के नाते उनके अधिकार ही नहीं कुछ कर्तव्य और दायित्व भी है जिनको पूरा करना उनके लिए अनिवार्य है तथा यह भी कहा गया कि हड़तालों और तालाबंदी से राष्ट्र का आर्थिक ढांचा छिन भिन हो जाता है|

हिन्दू आर्थिक योजना का दूसरा उदेश्य गैर हिन्दुओ के आर्थिक हितो से पैदा होने वाले खतरों से हिन्दू हितो की रक्षा करना था । परन्तु हिन्दू जमीदारो एवं उद्योग पतियो की दृष्टि में में कोई महत्व नहीं था । सच तो यह था की लाला हरकिशन , राजा नरेन्द्रनाथ , राजा रामपाल तथा सावरकर को भी घनश्याम बिड़ला से **3000** प्रति मास मिलते थे । इसलिए कांग्रेस व् मुस्लिम लीग के साथ साथ हिन्दू महासभा का भी इन वर्ण वर्गों का विरोध करने का साहस नहीं कर सकती थी | 20 वे दशक में के शुरू में संपरदायिक हिंसा और और गैर ब्राह्मण आंदोलन की प्रतिकिर्या के रूप में महाराष्ट्र के नेताओ ने हिन्दू हितो को बढ़ावा देने के लिए की बात सोची इसके फलसवरूप 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन किया गया जोकि एक पुरुष संगठन था और सर्वोच्च अधिनायक के सिद्धांतो पर आधारित है इस संगठन व इसके प्रमुख नेताओ की विचार धारा से भी हिन्दू साम्प्रदायिकता बढ़ती चली गयी इसके विचारो से स्प्ाष्ट इस प्रकार होता है कि यह राष्ट्र केवल हिन्दुओ से बना है क्योकि वे ही इस धरती के मूल निवासी है| और उन्होंने ही इस समाज और संस्कृति का निर्माण किया है RSS के दूसरे सरसंघ चालक एम एस गोलवलकर (1906-1973)ने तो अपनी पुस्तक वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में इस तरह कहा है कि राष्ट्रीय गौरव को सर्वोपरि रखना , अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति की शुद्धता को बनाये रखने के लिए जर्मनी ने चौका देने वाला काम किया है और सिमटिक जातियों - येहूदियो का देश से सफाया कर दिया है राष्ट्रीय गौरव का यही सर्वोत्कष्ट रूप देखने को मिला । जर्मनी ने दिखा दिया है कि विभिन्न मूलो वाली जातियों और संस्कृतियों को एक करना किस तरह से असंभव है तथा हिन्दूस्तान के लिए एक अच्छा सबक है । **16**

16. पुनियानीराम, 'साम्प्रदायिक राजनीतिः सचित्र पराईमर', (नई दिल्ली,सफ़दर हाश्मी मेमोरियलट्रस्ट-2001) पृष्ठ संख्या -51

संपरदायिकता की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संघ के सरसंघचालक एम एस गोलवलकर ने 1939 में अपनी पुस्तक 'वी' में कहा है कि यदि अल्प्संख्यको की मांगे मंजूर कर ली जाती है तो हिन्दुओ का राष्ट्रीय जीवन छीन भिन हो जायेगा । इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रवादियो पर इल्ज़ाम लगाया कि वे हमारे कटटर दुश्मनो को छाती से लगाए हुए है और इस तरह हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल रहे है |

गाँधी जी की तरफ इशारा करते हुए **RSS** के नेताओ ने कहा कि जिन लोगो ने हिन्दू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज्य ना मिलने का नारा दिया है उन्होंने हमारे समाज के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है उन्होंने हमारी महान और प्राचीन जाति की जीवन शक्ति को नष्ट करने का सबसे घृणित पाप किया है । हिन्दू संपरदायिकता तो इस हद तक बढ़ चली कि अंत में **RSS** के सदस्य नाथू रामगोडसे ने गाँधी को अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाला कह कर गोली मार दी । 17.

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुस्लिम संप्रदायवाद की भांति हिन्दू संप्रदायवाद का भी यह स्वभाविक तथ्य "अल्पसंख्यक समुदाय की भय ग्रंथि" भी बना । चाहे वे धार्मिक , जातीय, अथवा कोमी अल्पसंख्यक हो, एक प्रवृति होती है कि वे बहुसंख्यको पर अविश्वास करते है और इसी का उदाहरण था पंजाब और बंगाल में में हिन्दू साम्प्रदायिकता । प्रभा दीक्षित के सिद्धांत से से भी स्पष्ट होता है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता मुस्लिम साम्प्रदायिकता का परिणाम थी ।

मुस्लिम सम्प्रदायवाद सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में विकसित हुआ है "हिन्दू संप्रदाय की प्रतिकिरया के रूप में नहीं" दूसरी और हिन्दू सम्प्रदायवाद मुस्लिम सम्प्रदायवाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है ।पंजाब में हिन्दू जनसख्या में प्रतिशत थे , परन्तु बहुसंख्यको से मुसलमानो से आर्थिक , राजनीतिक व शिक्षा के क्षेत्र में आगे थे । अब वे मुस्लिम कार्यो एवं उपलब्धियो को देख कर , प्राचीन एवं मध्यकाल की भांति आधुनिक काल में भी अभिजात वर्ग बने रहना चाहते थे परिणाम स्वरूप उनके लिए सम्प्रदायवादकी आड़ लेना अनिवार्य हो गया ।

17. चंद्र बिपिन , 'आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता', (नई दिल्ली, हिंदी माध्यम कार्यान्यवय निदेशालय,**1990)** पृष्ठ संख्या-351

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- अंबेडकर, बी आर. 'थाटसन आन पाकिस्तान' , बम्बई (1941) पृष्ठ संख्या-81
- चंद्र बिपिन , 'आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता', (नई दिल्ली, हिंदी माध्यम कार्यान्यवय निदेशालय ,1990) पृष्ठ संख्या-85

- दीक्षित प्रभा, 'साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक सन्दर्भ' , (नई दिल्ली , द मैकमिलन कंपनी ऑफ़ इंडिया , 1980), पृष्ठ संख्या 130-31
- ज्ञान रंजन, 'पहल – 74' (जवलपुर, महाकोशल ऑफसन्त, मई - जून 2003)पृष्ठ संख्या-16-17
- प्रकाश इन्दर, 'ए रिव्यु ऑफ़ दी हिस्ट्री ऐड वर्क ऑफ़ हिन्दू महासभा' (नई दिल्ली1952)
  पृष्ठ संख्या -99
- पुनियानी राम, 'साम्प्रदायिक राजनीतिः सचित्र पराईमर', (नई दिल्ली,सफ़दर हाश्मी मेमोरियल ट्रस्ट-2001) पृष्ठ संख्या -50
- कीर. डी. 'सावरकर एन्ड हिज़ टाइम्स' (बम्बई 1964) पृष्ठ संख्या -229